

OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
5 – SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

F.No. 28/11/744/P&S/Lab/2022/1341

Dated:- 24/03/2022

To

The Deputy Secretary(Question cell),
Delhi Legislative Assembly
Govt.of NCT of Delhi
Old Sectt.,Delhi-110054

**Subject: Regarding Vidhan Sabha Unstarred Question No.190 raised by Hon'ble
MLA, Shri Vijender Gupta for 29-03-2022 .**

Sir,

I am directed to forward herewith the reply (along with 100 photocopies) of
Vidhan Sabha Unstarred Question No.190 raised by Hon'ble MLA, Shri Vijender
Gupta for your ready reference.

Yours faithfully

Renu
23/3/22

(Renu Aggarwal)
Assistant Director(Plg)

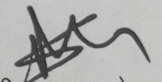
Encl: as above

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(श्रम विभाग)
5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054

अतारांकित प्रश्न संख्या : 190
दिनांक : 29 मार्च, 2022
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता

प्रश्न	उत्तर
क. श्रम विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त श्रम आयुक्त, संयुक्त श्रम आयुक्त, उप-श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त के कुल कितने पद रिक्त हैं;	श्रम विभाग में इस समय कुल 12 अधिकारी अतिरिक्त श्रम आयुक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त/ उप श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। 15 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
ख. श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत कुल 9 जिलों में लीगल समस्याओं की सलाह देने के लिए कुल कितने लीगल सहायक कार्यरत हैं;	श्रम विभाग में लीगल सहायक का एक पद है एवम् उस पद पर एक लीगल सहायक कार्यरत है।
ग. क्या श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत कुल 9 जिलों में लीगल संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के लिए लीगल सहायकों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;	श्रम विभाग के सभी जिलों में एक-एक विधि सहायक/सलाहाकार को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
घ. क्या यह सत्य है कि श्रम विभाग में क्षतिपूर्ति आयुक्त की संख्या में कमी होने के कारण एक-एक क्षतिपूर्ति आयुक्त को दो-दो जिले का प्रभार मिला हुआ है;	यह सत्य नहीं है। श्रम विभाग के केवल तीन जिलों में कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त की योग्यता निर्धारित ना होने के कारण यह अस्थायी प्रबंध किया गया है।
ड. श्रम विभाग में क्षतिपूर्ति आयुक्त की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जायेंगे; और	क्षतिपूर्ति आयुक्त का कार्यभार सभी जिलों में कार्यरत संयुक्त श्रम आयुक्त, उप श्रमायुक्त व सहायक श्रमायुक्त संभालते हैं।
च. श्रम विभाग को राजस्व विभाग की तर्ज पर 11 जिलों में बांटने का प्रस्ताव जो पिछले लगभग 2 साल से लंबित है, उसे कब से लागू किया जायेगा?	श्रम विभाग द्वारा दक्षिण-पूर्व और शाहदरा में दो जिले स्थापित करने के लिये कार्यालय तैयार कर लिये गये हैं एवम् अतिशीघ्र प्रारंभ कर दिये जायेंगे।

हस्ताक्षर


(संजीव आहूजा)
विभागाध्यक्ष

SANJEEV AHUJA
Commissioner (Labour)